राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
वित्त (नियम) विभाग (0141–2374671)

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/26/2022/3654 दिनांकः– 18.08.2022

परिपत्र

1. कार्यालय आदेश क्रमांक मुख्या./एफ–4/वित्त/नियम/26/2020/5461 दिनांक 09.11.2020 द्वारा चालकों एवं परिचालकों को दिये जाने वाले रात्रि/दिन बर्हिगमन भत्ते की दरें निगम के यात्रा भत्ता स्लेब में अंकित दैनिक भत्ते के अनुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो दिनांक 02.10.1997 से प्रभावी है।

2. कतिपय इकाईयों द्वारा दिनांक 02.10.1997 से यात्रा भत्ता स्लेब एवं यात्रा भत्ता की दरों की जानकारी के लिए मुख्यालय से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अतः चालकों एवं परिचालकों को भुगतान की गई रात्रि बहिर्गमन भत्ते की राशि व यात्रा भत्ता की दरों की अन्तर राशि की गणना सुगमता से करने के लिए रात्रि बहिर्गमन भत्ता एवं यात्रा भत्ता की दरें इस परिपत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित कर दी गई हैं। सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित दरों के अनुसार ही अंतर राशि की गणना कराया जाना सुनिश्चित् करें।

3. रात्रि बहिर्गमन भत्ते की अन्तर राशि की त्वरित गणना के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेः–

(i) परिचालकों के रात्रि बहिर्गमन भत्ते के लिए रात्रि की गणना प्रबन्धक (यातायात) उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार करेंगे जिसका सत्यापन प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा किया जावेगा।

(ii) चालकों के रात्रि बहिर्गमन भत्ते के लिए रात्रि की गणना प्रबन्धक (संचालन) उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार करेंगे जिसका सत्यापन प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा किया जावेगा।

(iii) प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (संचालन) से प्राप्त रात्रि के आधार पर बिल क्लर्क द्वारा अन्तर राशि की गणना की जावेगी जिसका सत्यापन प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा किया जावेगा।

(iv) प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा सत्यापित अन्तर राशि की गणना की जॉच प्रबन्धक (वित्त) द्वारा की जावेगी जिसका सत्यापन मुख्य प्रबन्धक द्वारा किये जाने पर मुख्यालय से फण्ड की भांग हेतु मांग पत्र तैयार किया जावेगा।

(v) मुख्यालय को प्रेषित किये जाने वाले मांग पत्र को प्रबन्धक (यातायात), प्रबन्धक (संचालन), प्रबन्धक (प्रशासन), प्रबन्धक (वित्त) एवं मुख्य प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किया जावेगा। साथ ही इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जावेगा कि सभी कर्मचारियों के रात्रि बहिर्गमन भत्ते की अन्तर राशि मांग पत्र में सम्मिलित करली गई है एवं कोई कर्मचारी की अन्तर राशि की मांग शेष नहीं है।

(vi) अन्तर राशि की गणना का प्रोफोर्मा इस परिपत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

18/8/22
(संदीप वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

I.T.1797
18/8/22

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/26/2022/3654 दिनांकः– 18.08.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0...।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
9. रक्षित पत्रावली।

(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

RATES OF NIGHT OUT ALLOWANCE (RSRTC)

Ser No	Period when effective	Rates Per Night (In Rs)		
		Within State	State Capital	Delhi
1.	From 02.10.1997 to 30.09.2005	10	15	15
2.	From 01.10.2005 to 04.10.2012	20	30	30
3.	From 05.10.2012 to 02.10.2017	30	40	40
4.	From 03.10.2017	90	90	100

RATES OF DAILY ALLOWANCE AS PER TA RULES

From on 02.10.1997

Ser No	Basic Pay	Rates Per Night (In Rs)		
		Within State	State Capital	Delhi
1.	Rs 5100 and above	78	85	106
2.	Rs 2800 and above but less than 5100	70	84	105
3.	Rs 1900 and above but less than 2800	60	75	98
4.	Rs 1400 and above but less than 1900	53	66	83
5.	Rs 1100 and above but less than 1400	45	60	75
6.	Upto Rs 1100	30	38	53

From on 17.08.2011

Ser No	Basic Pay	Rates Per Night (In Rs)		
		Within State	State Capital	Delhi
1.	Rs 37000 and above (A)	135	170	260
2.	Rs 19000 to 36999 (B)	120	150	230
3.	Rs 15000 to 18999 (C)	105	130	200
4.	Rs 10000 to 14999 (D)	90	110	170
5.	Upto Rs 9999 (E)	55	70	105

From on 16.07.2012

Ser No	Basic Pay	Rates Per Night (In Rs)		
		Within State	State Capital	Delhi
1.	Rs 37000 and above (A)	205	255	390
2.	Rs 19000 to 36999 (B)	180	225	345
3.	Rs 15000 to 18999 (C)	160	195	300
4.	Rs 10000 to 14999 (D)	135	165	255
5.	Upto Rs 9999 (E)	85	105	160

PROFORMA FOR CALCULATION OF DIFFERENCE IN NIGHT OUT ALLOWANCE

Ser No	Name of Employee	No of Nights	Rate	Amount	Amount Already Paid	Difference Amount To be Paid/ Recovered (+/-)	Remarks